न्यायालय– अवर न्यायाधीश तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :– 48/2012
CIS No. :– TS/529/2018

हीरालाल साह बनाम **प्रमोद कुमार पाण्डेय एवं अन्य**

दिनांक–05.10.2021

अभिलेख पेश हुई। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अनुपस्थित।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक–07.01.2021 इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि आदेश दिनांक–22.02.2020 के अनुपालन में उनके द्वारा वादपत्र में प्रतिस्थापन समय के अन्दर अंकित नहीं किया जा सका है। इसलिए अब प्रतिस्थापन करने की अनुमति की याचना की गयी है।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

वादी द्वारा प्रतिस्थापन करने में यद्यपि विलम्ब किया गया है, परन्तु अब वह प्रतिस्थापन करने हेतु तैयार है। अतः मात्र विलम्ब के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। न्यायहित में विलम्ब माफ कर प्रार्थना पत्र दिनांक–07.01.2021 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांक–07.01.2021 स्वीकार किया जाता है। आदेश दिनांकित–22.02.2020 के अनुपालन में प्रतिस्थापन अन्दर सप्ताह अंकित किया जाये।

अभिलेख दिनांक–16.11.2021 को वास्ते अग्रिम कार्यवाही पेश हो।

अवर न्यायाधीश तृतीय
न्यायालय कक्ष–4, नरकटियागंज